FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्र.र. मुकाम....खींवसर...

मुकदमा...राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर.एक्ट (DILRMP) आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के फॉलों अप शिविर 2022 ग्राम पचायंत भूण्डेल

सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर बनाम स्नेहलता

मु. नं.....27......सन्..2022

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	27.05.2022	

प्रार्थीनी ने प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के फॉलों अप शिविर 2022 ग्राम पचायंत भूण्डेल केम्प कोर्ट में अप्रार्थी के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की मेरा उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है विद्वान अधिवक्तागण पिछले दो तीन माह से हड़ताल पर होने से उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, मेंने अपने विद्वान अधिवक्ता की सहमति पत्र विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त कर संलग्न आवेदन प्रस्तुत है कि मैं अपने इस प्रकरण में स्वयं पेवरी करना चाहाता हूँ, तो मेरे विद्वान अधिवक्ता को कोई आपति नहीं है इनका सहमति पत्र मेने प्रस्तुत कर दिया हैं।

प्रार्थीनी के निवेदन पर प्रार्थीनी के प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रार्थीनी के उक्त प्रकरण का सक्षिंप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थीनी स्नेहलता धर्म पत्नि ओंकारसिंह जाति राजपूत निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर जरिये अधिवक्ता राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (DILRMP) आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी मय आवेदन अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया की तहसीलदार खींवसर ने अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (DILRMP) के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2019 को पेश किया गया। एवं अगले दिन दिनांक 12.07.2019 को अप्रार्थीगण को बिना कोई जरिये नोटिस के सूचना दिये ही एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया । पक्षकारों को बिना सुनवाई का अधिकार दिये ही एवं पक्षकारों को सूचित किये बगैर ही तहसीलदार खींवसर के आवेदन पत्र के आधार पर ग्राम खींवसर के खसरा नबंर 1301 के नवसर्जित खसरा नबंर 1301, 7225/1301, 7243/1301, 3272/1301, 3273/1301, 3274/1301, 3275/1301, 3276/1301, 3277/1301, 3617/1301, 3422/1301, 3423/1301, 3720/1301, 3741/1301, 4592/1301, 5168/1301, को मर्ज किया जाकर एक खसरा 1301 बना दिया गया ।

कि खसरा नबंर 1301 रकबा 35.02 बीघा की स्नेहलता धर्म पत्नि ओंकारसिंह जाति राजपूत निवासी खींवसर रेकर्डेड खातेदार हैं तथा मौके पर अलग से कब्जा काश्त भी स्थित है। एवं इन रकबों का राजस्व रेकर्ड में आसानी से तरमीम किया जा सकता था। लेकिन तहसीलदार खींवसर द्वारा पेश किये गये वाद/आवेदन को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये ही स्वीकार कर गलत रूप से मर्ज कर दिया गया।

27.05.2022

तथा खसरा नबंर 1301 में दर्ज खातेदार वृद्वी खींवसर ट्रस्ट उपनिवेशी गजेन्द्रसिंह पुत्र ओंकारसिंह व प्रीतिकुमारी पत्नि गजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खींवसर के अलावा सभी खातेदार खसरा नबंर 1301/3105 के खातेदार है एवं इनका कब्जा भी मौके पर खसरा नबंर 1301/3105 में स्थित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय दिनांक 12.07.19 को खसरा 1301 रकबा 35,02.00 बीघा के हद तक अपास्त किया जाकर, खसरा नबंर 1301 रकबा 35.02.00 बीघा की मौके एवं पूर्व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार अलग खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें। एवं नजरी नक्शे के अनुसार अलग तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें।

उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार खींवसर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार खींवसर ने अपने पत्रांक/कंमाक/भू.अ./2022/कोर्ट/4968 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा निवेदन किया की मौजा खींवसर के खसरा नबंर 1301 रकबा 35.02.00 बीघा है खसरा नबंर 1301 में सहखातेदार में कुलदीपसिंह पुत्र जेठुसिंह, कुसुम्बी पत्नी जगदीशराम, खींवीदेवी पत्नी चिमनाराम, चन्द्रदेवी पत्नी मांगीलाल, चम्पालाल पुत्र पुनाराम, चिमनाराम पुत्र अमेदाराम, दीलिपसिंह पुत्र जेठुसिंह, बाबुलाल पुत्र पुनाराम, बाबुलाल पुत्र जगदीश, सीयाराम पुत्र गिरधारीराम, ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल, कमला पत्नी जेठूसिंह वगैराह का मौके पर खसरा नबंर 1301/3105 में आज दिन कब्जा काश्त है। राजस्व रेकर्ड जाचं करने पर पाया की पुस्तक पर नजरी नक्शा हीं होने की वजह से राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते वक्त उक्त खातेदार के खसरान को खसरा नबंर 1301 में मर्ज कर दिया गया हैं।

अतः इन सभी खसरो को खसरा नबंर 1301/3105 में मर्ज किया जाना उचित हैं क्योंकि उक्त सहखातेदार खसरा नबंर 1301/3105 का ही भाग है शेष खातेदार 1301 में मर्ज किया जाना उचित है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का सहमति पत्र होने पर अप्रार्थी को अपने उक्त प्रार्थना पत्र में पैरवी करने की इजाजत दी गई। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहारते हुए निवेदन किया की मैं गजेन्द्रसिंह पुत्र ओंकारसिंह, प्रीतिकुमारी पत्नि गजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खींवसर रेकर्डेड खातेदार हैं तथा मौके पर अलग से कब्जा काश्त भी स्थित है। एवं इन रकबों का राजस्व रेकर्ड में आसानी से तरमीम किया जा सकता था। लेकिन तहसीलदार खींवसर द्वारा पेश किये गये वाद/आवेदन को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये ही स्वीकार कर गलत रूप से मर्ज कर दिया गया। जो पुनः पूर्व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार अलग खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें। एवं नजरी नक्शे के अनुसार अलग तरमीम किये जाने के आदेश फरमावें।

अतः पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट पत्रांक/कंमाक/भू.अ./2022/कोर्ट/4967 दिनांक 28.04.2022 का अवलोकन एवं गहनता पूर्वक अध्ययन करने पर अप्रार्थी का उक्त आवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (DILRMP) आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी मय आवेदन अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिया जाता है कि :-

27.05.2022

आदेश

अतः पूर्व निर्णय दिनांक 12.07.19 को अप्रार्थी खसरा 3720/1301 रकबा 05.00.00 बीघा व खसरा नबंर 1301 रकबा 35.02.00 बीघा के हद तक को अपास्त किया जाता है, खसरा नबंर 1301 रकबा 35.02.00 बीघा की मौके एवं पूर्व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार ही अलग खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार अलग तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उक्त आदेशानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

शिविर प्रभारी
प्रशासन गावों के संग अभियान
2021 के फॉलों अप शिविर
2022 ग्राम पचायंत केम्प कोर्ट भूण्डेल